



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport & Highways)

पता - प्लॉट नं. 66-67, सिद्धि विनायक कॉलोनी, दादाजी कॉलेज के पास, इन्दौर रोड,
खण्डवा (म.प्र.) 450001

Add. - Plot No. 66-67, Siddhi Vinayak Colony, Near Dadaji College, Indore Road,
Khandwa (M.P.) 450001

e-mail : piukhandwa@nhai.org, nhaikhandwa@gmail.com



NHA/PIU-Khandwa/DFO/NH-347B/1535

Date:27.04.2023

To,

Divisional Forest Officer
Khandwa,(M.P.)

Sub: 4 laning of Ashapur- Khandwa -Deshgaon Section of NH-347B From Ashapur Design Ch 114-000 to Deshgaon (Khandwa) Design Ch 177+680 (length-63.680 km) on Betul- Khandwa corridor under BHARATMALA Pariyojana in the State of Madhya Pradesh. **Compliance Report of EDS raised by forest department for Forest Diversion Proposal No.-(FP/MP/ROAD/146981/2021) -reg.**

Ref: (i) DFO Khandwa Letter 621 date 16.02.2023
(ii) DPR consultant letter no NHA/PIU/Khandwa/LASA/459 dated 27.04.2023

This is in reference to the subject proposal for which the EDS has been raised by the forest Department vide letter at Ref. (i)

2 Further DPR Consultant vide letter dated 27.04.2023 has submitted the compliance report for the above EDS the same is hereby detailed as below:-

S.No	Observation	Compliance
1	Demarcation of 16.153 Ha. of Forest land on ground	Demarcation of Forest land has been done on ground & the same has been verified by Concerning RFO's, - • Joint site visit by RFO, Chhanera has been done on dated 01.03.2023 (Site verification report enclosed) & • Joint site visit by RFO, Khandwa has been done on dated 23.02.2023 (Site verification report enclosed)
2	Site joint Verification with SDO Forest should be done and during site visit one copy of the Proposal should be provided to concerned Range Forest Officer and SDO forest	• Joint site visit by RFO, Chhanera has been done on dated 01.03.2023 (Site verification report enclosed). • Joint site visit by RFO, Khandwa has been done on dated 23.02.2023(Site verification report enclosed) & on behalf of SDO, Forest, Khandwa.
3	Species wise Tree enumeration along with the girth of the affected trees should be done	Species wise Tree list enumeration along with the girth of the affected trees are annexed herewith. (Total number of trees in Chanera Range is 254 and Khandwa Range is 258. (List Enclosed as Annexure-I).
4	JPG File (size less the 50Kb) of the effected forest area	Enclosed with this letter.(Annexure-II)

27/4/23

5	Non forest land of 271.309 Ha has been shown in the proposal NOC from Collector Khandwa regarding Revenue Forest (Chote- Bade Jhad ka Jungle) is required	NOC issued by collector vide letter no. 5791,5775,5777,5779,5783,5789,5781,5785,5787 dated 20.04.2023 to DFO, Khandwa. Copy of NOC enclosed for ready reference.
6	CA Scheme of 32.306 Ha Should be presented from concerned range officer	It is Pertaining to forest department. • However, CF-Khandwa vide letter dated 19.04.2023 directed DFO, Khargone/Barwah/ Barwani /Sendhwa for providing the details of available land for compensatory afforestation in 32.306 Ha. area. • Subsequently, this office vide letter dated 21.04.2023 has also requested DFO, Khargone/Barwah/ Barwani /Sendhwa for providing the details of available land for compensatory afforestation in 32.306 Ha. area.
7	KML file, Geo reference map and Toposheet of CA land should be submitted	It is Pertaining to forest department
8	Registration fees of 5000 and processing fees of Rs 30000 Should be submitted in the form of DD/or on website of M.P. Treasury (www.mptreasury.org).	The total amount of Rs 35,000 /- deposited in the MP-treasury account and same has been informed to DFO, Khandwa vide this office letter dated 21.04.2023

3. In view of above, it is requested to expedite processing of the subject proposal & granting of stage-I clearance.

4. It is pertinent to mention that subject work has been already awarded & is being monitored regularly at central government level.

Accordingly, your co-operation is anticipated in timely completion of the subject work.

Encl :As above


 (Ashutosh Soni)
Project Director

Copy To:

1. The Regional officer, RO-MP, Bhopal (M.P.) for kind information
2. The CF,Khandwa for kind information.
3. DPR Consultant M/s LEA Associates Pvt. Ltd. for persuasion and necessary action.



LEA Associates South Asia Pvt. Ltd.

B-1, E-27, Mohan Cooperative Industrial Estate

Mathura Road, New Delhi-110044, India

T | 91-11-2697 3950-52, 41678150 F | 91-11-41678659

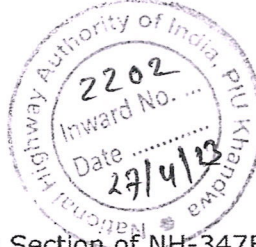
Email: lasa@lasaindia.com, www.lea.ca

Corporate Identification Number: U74899DL1993PTC055750

Reference No. LASA/73579/HW/2023/459

Date: 27th April 2023

To,
Project Director,
National Highways Authority of India
PIU, Khandwa, Madhya Pradesh



LA
27/4/23
Mg (M)
Pls putty

Sub: 4 laning of Ashapur- Khandwa -Deshgaon Section of NH-347B From Ashapur Design Ch 114-000 to Deshgaon (Khandwa) Design Ch 177+680 (length-63.680 km) on Betul- Khandwa corridor under BHARATMALA Pariyojana in the State of Madhaya Pradesh. **Compliance Report of EDS raised by forest department for Forest Diversion Proposal No:- (FP/MP/ROAD/146981/2021) -reg.**

Ref: 1. Your Office letter no NHAI/PIU-KNW/PKG-V/LASA/2023/1299 dated 17.04.2023

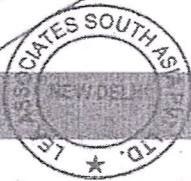
2. DFO Khandwa Letter 621 date 16.02.20223

Dear Sir,

This is in reference to the subject proposal for which the EDS has been raised by the forest Department vide letter at Ref. (ii).

Further your letter at Ref.(i) regarding Delay in compliance of the above said EDS. The observation and their compliance area as follow:

S.No	Observation	Compliance
1	Demarcation of 16.153 Ha. of Forest land on ground	Demarcation of Forest land has been done on ground & the same has been verified by Concerning RFO's, - - Joint site visit by RFO, Chhanera has been done on dated 01.03.2023 (Site verification report enclosed) & - Joint site visit by RFO, Khandwa has been done on dated 23.02.2023 (Site verification report enclosed)
2	Site joint Verification with SDO Forest should be done and during site visit one copy of the Proposal should be provided to concerned Range Forest Officer and SDO forest	- Joint site visit by RFO, Chhanera has been done on dated 01.03.2023 (Site verification report enclosed). - Joint site visit by RFO, Khandwa has been done on dated 23.02.2023(Site verification report enclosed) & on behalf of SDO, Forest, Khandwa.
3	Species wise Tree enumeration along with the girth of the affected trees should be done	Species wise Tree list enumeration along with the girth of the affected trees are annexed herewith. (Total number of trees in Chanera Range is 254 and Khandwa Range is 258. (List Enclosed as Annexure-I).





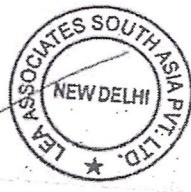
4	JPG File (size less the 50Kb) of the effected forest area	Enclosed with this letter. (Annexure-II)
5	Non forest land of 271.309 Ha has been shown in the proposal NOC from Collector Khandwa regarding Revenue Forest (Chote- Bade Jhad ka Jungle) is required	NOC issued by collector vide letter no. 5791,5775,5777,5779,5783,5789,5781,5785,5787 dated 20.04.2023 to DFO, Khandwa. Copy of NOC enclosed for ready reference.
6	CA Scheme of 32.306 Ha Should be presented from concerned range officer	It is Pertaining to forest department. • However, CF-Khandwa vide letter dated 19.04.2023 directed DFO, Khargone/Barwah/Barwani /Sendhwa for providing the details of available land for compensatory afforestation in 32.306 Ha. area. • Subsequently, NHAH vide letter dated 21.04.2023 has also requested DFO, Khargone/Barwah/Barwani /Sendhwa for providing the details of available land for compensatory afforestation in 32.306 Ha. area.
7	KML file, Geo reference map and Toposheet of CA land should be submitted	It is Pertaining to forest department
8	Registration fees of 5000 and processing fees of Rs 30000 Should be submitted in the form of DD/or on website of M.P. Treasury (www.mptreasury.org).	The total amount of Rs 35,000 /- deposited in the MP-treasury account and same has been informed to DFO, Khandwa vide NHAH letter dated 21.04.2023

It is requested to kindly write a letter to DFO so that the proposal can be moved further for obtaining stage-I clearance

Thanking you and assuring you of our best services at all times,

With best regards,

For LEA Associates South Asia Pvt. Ltd.,



Sujoy Sinha

General Manager

Copy to: 1. Regional officer and GM(T), NHAH, Bhopal, MP for kind information.

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ऑनलाईन/2023/

621

खंडवा, दिनांक

16.2.23

प्रति,

Project Director,
PIU-Khandwa
Plot no. 66-67 Siddhi Vinayak colony
Near dadaji college indore road khandwa

विषय:- 4 laning of Ashapur-Khandwa-Deshgaon Section of NH-347B from Ashapur
Proposal No. (FP/MP/ROAD/146981/2021)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1271 दिनांक 14.02.2023

—000—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि 4 laning of Ashapur-Khandwa-Deshgaon Section of NH-347B from Ashapur के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:-

1. प्रस्तावित योजना में प्रभावित वनभूमि 16.153 हेक्टेयर का मौके पर स्पष्ट सीमांकन किया जावे।
2. प्रस्तावित योजना का संबंधित उपवनमण्डलाधिकारी से संयुक्त निरीक्षण कराया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। निरीक्षण के दौरान प्रस्ताव की एक-एक प्रति उपवनमण्डलाधिकारी एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी को प्रस्तुत करें।
3. प्रस्तावित योजना में प्रभावित वृक्षों का गणना पत्रक प्रजाति एवं गोलाईवार कक्षवार प्रस्तुत करें।
4. प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल प्रस्तुत की जावे।
5. प्रस्तावित योजना में गैर वनभूमि 271.309 हेक्टेयर दर्शायी गई है। तदसंबंध आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करें साथ ही प्रभावित राजस्व वन भूमि (बड़े-झाड़ छोटे झाड़ भद की भूमि) के संबंध में कलेक्टर जिला खण्डवा का अनापत्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
6. प्रभावित वनभूमि के बदले में दुगनी बिगड़े वन क्षेत्र 32.306 हेक्टेयर की अनुमोदित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना परिक्षेत्राधिकारी से समन्वय कर प्रस्तुत करें।
7. वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की के.एम.एल. फाईल, Geo Reference मैप एवं टोपोशीट मानचित्र प्रस्तुत करें।
8. प्रकरण में पंजीयन राशि 5000/- एवं प्रोसेसिंग राशि 30000/- इस प्रकार कुल राशि 35000/- रूपयें वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा के नाम से बैंक ड्राफ्ट से अथवा म.प्र कोषालय की वेबसाइट www.mptreasury.org के माध्यम से जमा कराकर अवगत करावें।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./ऑनलाईन/2023/
प्रतिलिपि :-

622

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खंडवा
खंडवा, दिनांक 16.2.23

- 1- मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर (वाचक शाखा) जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- उपवनमण्डलाधिकारी पूर्वकालीभीत एवं खण्डवा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भाग- 2 में आवश्यक प्रविष्टि कराकर पूर्ण प्रस्ताव समय-सीमा में प्रस्तुत करावें।
- 4- परिक्षेत्राधिकारी सिंगाजी एवं खण्डवा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। परिक्षेत्राधिकारी खण्डवा, आंवलिया, सिंगाजी एवं पूर्वकालीभीत आरडीएफ वनक्षेत्र 32.306 की योजना का चयन कर निर्देशानुसार 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के.एम.एल. फाईल, Geo Reference मैप एवं टोपोशीट मानचित्र के साथ तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करें साथ ही प्रस्तावित योजना का निरीक्षण किया जाकर भाग -2 में आवश्यक प्रविष्टि कर प्रभावित वृक्षों का गणना पत्रक, मयमानचित्र प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल, प्रस्तावित क्षेत्र में दर्शित होने वाले वन्य प्राणियों के नाम एवं निरीक्षण चेक लिस्ट के साथ पूर्ण प्रस्ताव उपवनमण्डलाधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (अनु.क्र.3 व 4 हेतु)

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खंडवा

मौका रमल निरीक्षण पेचनामा

रमल माह मही
दिनांक = 01/03/23

हम निचे दस्तखत करने वाले पंचगण इस बात की तसदीक करते हैं कि आज दिनांक 01/03/23 श्रीमान वं. म. अ. रमल सागन्य के आदेश क्रमांक/मा. वि./621 दिनांक 16/02/23 के तहत राष्ट्रीय राज्य मार्ग जाहीकरण NH 347B प्रस्तावित परियोजना कार्य एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री मोहं अहमद (पर्यावरण विशेषज्ञ) एवं श्री राजीव राय, वन परिक्षेत्र सिंगानी (सा.) के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र लहापुर् क्षेत्र आशापुर एवं बदिल रक्षक मधोडी के हमराह रहकर NH पर जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र के लगे समस्त वृक्षों की गोलमई (छाली अंचई) पर नापक वृक्षों पर रोज वनांक नमूदा अंकित कर वृक्षों का रिकार्ड किया गया। जलक विवरण निम्नानुसार है।

कस क्रमांक	रकबा है.	वृक्ष संख्या
475	1.735 ई.	88
476	0.568 ई.	166
योग =	2.303 ई.	254

कुल प्रस्तावित क्षेत्र के जाने वाले रकबा 2.303 ई. एवं क्षेत्र के जाने वाले कुल वृक्षों की संख्या 254 मई पर पायी गई जिन्का माफिक रिकार्ड कार्य दिनांक 27/02/23 से 28/02/23 तक पूर्ण किया गया।

मौका पेचनामा हम पंचों के समक्ष निरवा गया। बाइ पट्टा पुना लही निरवा पाका अपने हस्ताक्षर बिचे लो लही जो वक्ता पर काफ़ मने।

Rajil Raj
NHAI Representative

पेचनामा चेहे आदा
निरवा गया।
Rajil Raj
रविकीला 2 ई.
व.र.



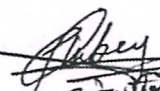
दिनांक :- 23/01/23
 स्थान :- सुरगाव निधानी

एम एरताक्षरकर्ता पंचांग यह भव भव पंचांग तबदीक करा
 हरे है की उमजदिलीक करि उमदी. 2023/01/23. स्टाफ परि. 2023/01/23
 NHAI के एमराह कार्य. व.म 2023/01/23 का वज कं/मापी/2023/622
 दिनांक 16/12/23 से बिलेगागुमार M Lanning of Nishapwa-Iphandwa-Veshgaon
 केकान व NH 347B from Nishapwa के सुरगाव निधानी में राजस्व क्षेत्र में प्राप्त
 वनभुमी पर से गुजरने वाले प्रस्तावित NHAI मार्ग के औसिक अस्थापन हेतु
 मौके पर एजिर आर मौके पर प्रस्तावित क्षेत्र (रोड) बिच वृक्षारोपण में से
 होकर निकलना पाया गया जिस हेतु NHAI 347B के प्रतिबिधीयो को अप्पल
 भिमाकन कराये जाने एवं प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले वृक्षो व पदार्थो की गणना
 कराये जाके हेतु निदेशित किया गया। प्रस्तावित रोड का आंगीक निरिक्षण करने
 पर भुमी पर श्वरगोश, शिथार, निलगाय, नली वन्यप्राणीयो के अप्रत्यक्ष साक्ष्य
 होना पाये गये। बिलगागुमार भुवर, कोडीया, निलगाय, श्वरगोश की भी उपस्थिती वक्त
 क्षेत्र में होना बतार् गई।

बाद पंचांग एम पंचो के समक्ष लिखा पत्र पढ़कर सुनाया गया
 सही होना पाया फिर एरताक्षर किये।

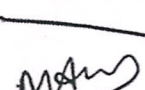
एरताक्षर पंचांग

पंचांग के हतारा
 लिखा गया


 मो. ल. निषावा (व.म.)
 प. व. दि. 11/9

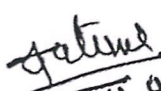
पंचांग के समक्ष
 लिखा गया


 मो. ल. निषावा
 प. व. दि. 11/9


 MOCCO A. Nishapwa
 NHAI Rep. Iphandwa

G. 23/01/23
 R.O. K. N. W.


 NHAI, LA. E.


 सुरगाव निधानी व.म.
 प्रभारी सुरगाव निधानी



Tree Enumeration of "4 laning of Ashapur-Khandwa-Deshgaon Section of NH-347B from Ashapur Design Ch 114+000 to Deshgaon (Khandwa) Design Ch 177+680 (length-63.680 km) on Betul Khandwa Corridor under BHARATMALA Pariyojana in the State of Madhya Pradesh"

Compartment No- 475

S.No	Tree Species	Girth (in cm)	Kami/Jalau	Remarks
1	Dhavda	180	Jalau	
2	Ramdanda	42	Jalau	
3	Khair	98	Jalau	
4	Karanj	44	Jalau	
5	Palasa	210	Jalau	
6	Khair	100	Jalau	
7	Khair	48	Jalau	
8	Khair	58	Jalau	
9	Palasa	180	Jalau	
10	Palasa	70	Jalau	
11	Palasa	82	Jalau	
12	Khair	94	Jalau	
13	Bad	180	Jalau	
14	Bad	130	Jalau	
15	Khair	60	Jalau	
16	Karanj	110	Jalau	
17	Khair	70	Jalau	
18	Khair	60	Jalau	
19	Khair	90	Jalau	
20	Khair	70	Jalau	
21	Khair	60	Jalau	
22	Palasa	70	Jalau	
23	Khankhana	150	Jalau	
24	Palasa	30	Jalau	
25	Khair	64	Jalau	
26	Khair	68	Jalau	
27	Khair	56	Jalau	
28	Khair	64	Jalau	
29	Khair	60	Jalau	
30	Khair	88	Jalau	
31	Palasa	74	Jalau	
32	Palasa	108	Jalau	
33	Khair	74	Jalau	
34	Khair	80	Jalau	
35	Palasa	56	Jalau	
36	Khair	74	Jalau	
37	Khair	100	Jalau	
38	Khair	54	Jalau	
39	Khair	84	Jalau	

S.No	Tree Species	Girth (in cm)	Kami/Jalau	Remarks
40	Khair	40	Jalau	
41	Khair	54	Jalau	
42	Khair	70	Jalau	
43	Khair	76	Jalau	
44	Khair	68	Jalau	
45	Khair	54	Jalau	
46	Khair	62	Jalau	
47	Khair	64	Jalau	
48	Khair	66	Jalau	
49	Khair	88	Jalau	
50	Palasa	60	Jalau	
51	Khair	94	Jalau	
52	Palasa	64	Jalau	
53	Khair	66	Jalau	
54	Khair	50	Jalau	
55	Khair	76	Jalau	
56	Khair	70	Jalau	
57	Khair	64	Jalau	
58	Khair	76	Jalau	
59	Khair	42	Jalau	
60	Khair	62	Jalau	
61	Khair	88	Jalau	
62	Khair	64	Jalau	
63	Khair	76	Jalau	
64	Khair	66	Jalau	
65	Khair	50	Jalau	
66	Khair	80	Jalau	
67	Khair	42	Jalau	
68	Khair	50	Jalau	
69	Khair	50	Jalau	
70	Khair	80	Jalau	
71	Khair	88	Jalau	
72	Astra	70	Jalau	
73	Khair	56	Jalau	
74	Astra	40	Jalau	
75	Khair	64	Jalau	
76	Sagun	48	Kami	
77	Khair	32	Jalau	
78	Khair	48	Jalau	
79	Khair	70	Jalau	
80	Khair	54	Jalau	
81	Khair	74	Jalau	
82	Khair	50	Jalau	
83	Khair	66	Jalau	
84	Khair	64	Jalau	

S.No	Tree Species	Girth (in cm)	Kami/Jalau	Remarks
85	Palasa	80	Jalau	
86	Khair	66	Jalau	
87	Khair	68	Jalau	
88	Khair	116	Jalau	
Compartment No- 476				
89	Khair	70	Jalau	
90	Khair	50	Jalau	
91	Khair	70	Jalau	
92	Khair	48	Jalau	
93	Khair	82	Jalau	
94	Khair	52	Jalau	
95	Khair	74	Jalau	
96	Khair	84	Jalau	
97	Khair	44	Jalau	
98	Khair	48	Jalau	
99	Khair	54	Jalau	
100	Khair	62	Jalau	
101	Khair	58	Jalau	
102	Palasa	52	Jalau	
103	Khair	62	Jalau	
104	Khair	64	Jalau	
105	Khair	66	Jalau	
106	Khair	76	Jalau	
107	Khair	46	Jalau	
108	Khair	92	Jalau	
109	Khair	52	Jalau	
110	Khair	60	Jalau	
111	Khair	72	Jalau	
112	Khair	70	Jalau	
113	Khair	76	Jalau	
114	Khair	56	Jalau	
115	Khair	72	Jalau	
116	Khair	46	Jalau	
117	Khair	42	Jalau	
118	Khair	50	Jalau	
119	Khair	50	Jalau	
120	Khair	60	Jalau	
121	Khair	66	Jalau	
122	Khair	46	Jalau	
123	Khair	96	Jalau	
124	Khair	50	Jalau	
125	Khair	42	Jalau	
126	Khair	56	Jalau	
127	Khair	72	Jalau	
128	Khair	76	Jalau	

S.No	Tree Species	Girth (in cm)	Kami/Jalau	Remarks
129	Khair	76	Jalau	
130	Khair	48	Jalau	
131	Khair	48	Jalau	
132	Khair	50	Jalau	
133	Khair	60	Jalau	
134	Khair	58	Jalau	
135	Khair	44	Jalau	
136	Khair	54	Jalau	
137	Khair	64	Jalau	
138	Khair	48	Jalau	
139	Khair	88	Jalau	
140	Khair	60	Jalau	
141	Khair	56	Jalau	
142	Khair	56	Jalau	
143	Khair	44	Jalau	
144	Khair	50	Jalau	
145	Khair	74	Jalau	
146	Khair	48	Jalau	
147	Khair	44	Jalau	
148	Khair	62	Jalau	
149	Khair	64	Jalau	
150	Khair	46	Jalau	
151	Khair	60	Jalau	
152	Khair	54	Jalau	
153	Khair	42	Jalau	
154	Khair	44	Jalau	
155	Dhavda	110	Jalau	
156	Khair	98	Jalau	
157	Khair	50	Jalau	
158	Khair	48	Jalau	
159	Khair	66	Jalau	
160	Palasa	44	Jalau	
161	Khair	30	Jalau	
162	Khair	60	Jalau	
163	Khair	66	Jalau	
164	Khair	48	Jalau	
165	Khair	60	Jalau	
166	Khair	50	Jalau	
167	Khair	62	Jalau	
168	Khair	50	Jalau	
169	Khair	80	Jalau	
170	Khair	56	Jalau	
171	Palasa	46	Jalau	
172	Khair	52	Jalau	
173	Khair	64	Jalau	

S.No	Tree Species	Girth (in cm)	Kami/Jalau	Remarks
174	Khair	52	Jalau	
175	Khair	44	Jalau	
176	Khair	48	Jalau	
177	Khair	76	Jalau	
178	Khair	40	Jalau	
179	Khair	70	Jalau	
180	Khair	50	Jalau	
181	Khair	44	Jalau	
182	Khair	68	Jalau	
183	Khair	54	Jalau	
184	Khair	44	Jalau	
185	Khair	46	Jalau	
186	Khair	42	Jalau	
187	Khair	58	Jalau	
188	Khair	56	Jalau	
189	Khair	60	Jalau	
190	Khair	60	Jalau	
191	Khair	40	Jalau	
192	Khair	48	Jalau	
193	Khair	90	Jalau	
194	Khair	48	Jalau	
195	Khair	58	Jalau	
196	Khair	62	Jalau	
197	Khair	58	Jalau	
198	Khair	54	Jalau	
199	Khair	56	Jalau	
200	Khair	40	Jalau	
201	Khair	60	Jalau	
202	Khair	48	Jalau	
203	Khair	50	Jalau	
204	Khair	60	Jalau	
205	Khair	66	Jalau	
206	Khair	48	Jalau	
207	Khair	54	Jalau	
208	Khair	52	Jalau	
209	Khair	58	Jalau	
210	Khair	40	Jalau	
211	Khair	48	Jalau	
212	Khair	60	Jalau	
213	Khair	80	Jalau	
214	Khair	48	Jalau	
215	Khair	34	Jalau	
216	Khair	94	Jalau	
217	Khair	96	Jalau	
218	Khair	48	Jalau	

S.No	Tree Species	Girth (in cm)	Kami/Jalau	Remarks
219	Khair	28	Jalau	
220	Khair	54	Jalau	
221	Khair	90	Jalau	
222	Khair	58	Jalau	
223	Khair	70	Jalau	
224	Khair	68	Jalau	
225	Khair	50	Jalau	
226	Khair	56	Jalau	
227	Khair	48	Jalau	
228	Khair	44	Jalau	
229	Khair	110	Jalau	
230	Khair	72	Jalau	
231	Khair	70	Jalau	
232	Khair	82	Jalau	
233	Khair	68	Jalau	
234	Khair	74	Jalau	
235	Khair	60	Jalau	
236	Khair	64	Jalau	
237	Khair	66	Jalau	
238	Khair	70	Jalau	
239	Khair	82	Jalau	
240	Khair	60	Jalau	
241	Khair	100	Jalau	
242	Khair	84	Jalau	
243	Khair	50	Jalau	
244	Khair	80	Jalau	
245	Khair	82	Jalau	
246	Khair	60	Jalau	
247	Khair	100	Jalau	
248	Babool	28	Jalau	
249	Babool	54	Jalau	
250	Khair	100	Jalau	
251	Babool	80	Jalau	
252	Khair	70	Jalau	
253	Khair	64	Jalau	
254	Mohin	164	Jalau	

Description of Forest Trees falling within the stretch Land from Km 114+000 to 177+800 (Ashapur-Rudhi-
Deshgaon, Package-4&5) of NH-347B in District Khandwa in the State of Madhya Pradesh

Tehsil :- Khandwa		Village Name :- Sargaon Nipani			
S.No	Tree Number Marked on field	Species	Girth (cm) Height (in 1.35 Meter)	Kami / Jalau	Remarks
1	1	Sajar	21	Jalau	
2	2	Sajar	22	Jalau	
3	3	Sajar	30	Jalau	
4	4	Sajar	22	Jalau	
5	5	Sajar	22	Jalau	
6	6	Sajar	21	Jalau	
7	7	Sajar	22	Jalau	
8	8	Sajar	22	Jalau	
9	9	Sajar	25	Jalau	
10	10	Moin	21	Jalau	
11	11	Sajar	20	Jalau	
12	12	Sajar	25	Jalau	
13	13	Sajar	23	Jalau	
14	14	Sajar	22	Jalau	
15	15	Sajar	26	Jalau	
16	16	Sajar	24	Jalau	
17	17	Sajar	20	Jalau	
18	18	Moin	23	Jalau	
19	19	Sajar	23	Jalau	
20	20	Sajar	25	Jalau	
21	21	Rinjra	20	Jalau	
22	22	Sajar	22	Jalau	
23	23	Rinjra	25	Jalau	
24	24	Moin	27	Jalau	
25	25	Sajar	25	Jalau	
26	26	Sajar	23	Jalau	
27	27	Sajar	20	Jalau	
28	28	Sajar	20	Jalau	
29	29	Sajar	20	Jalau	
30	30	Sajar	20	Jalau	
31	31	Sajar	23	Jalau	
32	32	Sajar	20	Jalau	
33	33	Sajar	21	Jalau	
34	34	Sajar	21	Jalau	
35	35	Sajar	20	Jalau	
36	36	Sajar	20	Jalau	
37	37	Sajar	20	Jalau	
38	38	Sajar	21	Jalau	
39	39	Sajar	21	Jalau	
40	40	Rinjra	23	Jalau	
41	41	Casia Sama	27	Jalau	
42	42	Sajar	22	Jalau	

Description of Forest Trees falling within the stretch Land from Km 114+000 to 177+800 (Ashapur-Rudhi-Deshgaon, Package-4&5) of NH-347B in District Khandwa in the State of Madhya Pradesh

Tehsil :- Khandwa		Village Name :- Surgaon Nipani			
S.No	Tree Number Marked on field	Species	Girth (cm) Height (in 1.35 Meter)	Kami / Jalau	Remarks
43	43	Sajar	22	Jalau	
44	44	Beeja	20	Jalau	
45	45	Moin	24	Jalau	
46	46	Sajar	26	Jalau	
47	47	Beeja	22	Jalau	
48	48	Sajar	20	Jalau	
49	49	Rakel	22	Jalau	
50	50	Beeja	20	Jalau	
51	51	Sajar	23	Jalau	
52	52	Sajar	22	Jalau	
53	53	Sajar	23	Jalau	
54	54	Sajar	21	Jalau	
55	55	Sajar	21	Jalau	
56	56	Palash	26	Jalau	
57	57	Sajar	20	Jalau	
58	58	Beeja	21	Jalau	
59	59	Sajar	21	Jalau	
60	60	Sajar	21	Jalau	
61	61	Sajar	23	Jalau	
62	62	Sajar	21	Jalau	
63	63	Sajar	20	Jalau	
64	64	Sajar	25	Jalau	
65	65	Moin	22	Jalau	
66	66	Palash	25	Jalau	
67	67	Sajar	21	Jalau	
68	68	Auli	20	Jalau	
69	69	Sajar	20	Jalau	
70	70	Sajar	22	Jalau	
71	71	Sajar	22	Jalau	
72	72	Sajar	21	Jalau	
73	73	Sajar	24	Jalau	
74	74	Sajar	20	Jalau	
75	75	Palash	25	Jalau	
76	76	Sajar	21	Jalau	
77	77	Sajar	20	Jalau	
78	78	Auli	20	Jalau	
79	79	Beeja	25	Jalau	
80	80	Rinjra	22	Jalau	
81	81	Rinjra	23	Jalau	
82	82	Beeja	25	Jalau	
83	83	Sajar	24	Jalau	
84	84	Sajar	20	Jalau	

Description of Forest Trees falling within the stretch Land from Km 114+000 to 177+800 (Ashapur-Rudhi-Deshgaon, Package-4&5) of NH-347B in District Khandwa in the State of Madhya Pradesh

Tehsil :- Khandwa		Village Name :- Sargaon Nipani			
S.No	Tree Number Marked on field	Species	Girth (cm) Height (in 1.35 Meter)	Kami / Jalau	Remarks
85	85	Sajar	20	Jalau	
86	86	Sajar	21	Jalau	
87	87	Sajar	20	Jalau	
88	88	Sajar	20	Jalau	
89	89	Sajar	23	Jalau	
90	90	Sajar	20	Jalau	
91	91	Sajar	21	Jalau	
92	92	Sajar	22	Jalau	
93	93	Sajar	23	Jalau	
94	94	Sajar	20	Jalau	
95	95	Sajar	24	Jalau	
96	96	Sajar	21	Jalau	
97	97	Sajar	20	Jalau	
98	98	Sajar	20	Jalau	
99	99	Sajar	25	Jalau	
100	100	Sajar	20	Jalau	
101	101	Sajar	22	Jalau	
102	102	Sajar	21	Jalau	
103	103	Sajar	25	Jalau	
104	104	Sajar	20	Jalau	
105	105	Sajar	21	Jalau	
106	106	Sajar	21	Jalau	
107	107	Sajar	23	Jalau	
108	108	Sajar	24	Jalau	
109	109	Sajar	20	Jalau	
110	110	Sajar	23	Jalau	
111	111	Sajar	21	Jalau	
112	112	Sajar	20	Jalau	
113	113	Sajar	20	Jalau	
114	114	Sajar	20	Jalau	
115	115	Char	22	Jalau	
116	116	Bera	20	Jalau	
117	117	Sajar	21	Jalau	
118	118	Sajar	20	Jalau	
119	119	Sajar	22	Jalau	
120	120	Sajar	23	Jalau	
121	121	Sajar	22	Jalau	
122	122	Sajar	21	Jalau	
123	123	Sajar	21	Jalau	
124	124	Sajar	22	Jalau	
125	125	Sajar	23	Jalau	
126	126	Sajar	26	Jalau	

Description of Forest Trees falling within the stretch Land from Km 114+000 to 177+800 (Ashapur-Rudhi-Deshgaon, Package-4&5) of NH-347B in District Khandwa in the State of Madhya Pradesh

Tehsil :- Khandwa		Village Name :- Surgaon Nipani			
S.No	Tree Number Marked on field	Species	Girth (cm) Height (in 1.35 Meter)	Kami / Jalau	Remarks
127	127	Sajar	22	Jalau	
128	128	Sajar	22	Jalau	
129	129	Sajar	21	Jalau	
130	130	Sajar	20	Jalau	
131	131	Sajar	20	Jalau	
132	132	Sajar	20	Jalau	
133	133	Sajar	21	Jalau	
134	134	Sajar	21	Jalau	
135	135	Sajar	21	Jalau	
136	136	Palash	24	Jalau	
137	137	Sajar	20	Jalau	
138	138	Sajar	21	Jalau	
139	139	Sajar	21	Jalau	
140	140	Palash	22	Jalau	
141	141	Palash	20	Jalau	
142	142	Palash	30	Jalau	
143	143	Palash	20	Jalau	
144	144	Palash	21	Jalau	
145	145	Palash	25	Jalau	
146	146	Char	20	Jalau	
147	147	Char	20	Jalau	
148	148	Moin	26	Jalau	
149	149	Sajar	20	Jalau	
150	150	Sajar	21	Jalau	
151	151	Palash	25	Jalau	
152	152	Palash	32	Jalau	
153	153	Palash	20	Jalau	
154	154	Sajar	20	Jalau	
155	155	Sajar	20	Jalau	
156	156	Sajar	20	Jalau	
157	157	Sajar	20	Jalau	
158	158	Sajar	20	Jalau	
159	159	Sajar	27	Jalau	
160	160	Sajar	25	Jalau	
161	161	Sajar	20	Jalau	
162	162	Sajar	26	Jalau	
163	163	Sajar	20	Jalau	
164	164	Sajar	22	Jalau	
165	165	Sajar	27	Jalau	
166	166	Sajar	22	Jalau	
167	167	Sajar	20	Jalau	
168	168	Sajar	21	Jalau	

Description of Forest Trees falling within the stretch Land from Km 114+000 to 177+800 (Ashapur-Rudhi-
Deshgaon, Package-4&5) of NH-347B in District Khandwa in the State of Madhya Pradesh

Tehsil :- Khandwa		Village Name :- Sargaon Nipani			
S.No	Tree Number Marked on field	Species	Girth (cm) Height (in 1.35 Meter)	Kami / Jalau	Remarks
169	169	Sajar	20	Jalau	
170	170	Sajar	20	Jalau	
171	171	Sajar	21	Jalau	
172	172	Sajar	20	Jalau	
173	173	Sajar	20	Jalau	
174	174	Sajar	20	Jalau	
175	175	Sajar	21	Jalau	
176	176	Sajar	20	Jalau	
177	177	Sajar	20	Jalau	
178	178	Sajar	20	Jalau	
179	179	Sajar	20	Jalau	
180	180	Sajar	22	Jalau	
181	181	Sajar	21	Jalau	
182	182	Sajar	20	Jalau	
183	183	Sajar	21	Jalau	
184	184	Temru	22	Jalau	
185	185	Sajar	26	Jalau	
186	186	Palash	25	Jalau	
187	187	Babul	23	Jalau	
188	188	Sajar	20	Jalau	
189	189	Sajar	22	Jalau	
190	190	Sajar	22	Jalau	
191	191	Sajar	22	Jalau	
192	192	Sajar	21	Jalau	
193	193	Rakel	22	Jalau	
194	194	Palash	22	Jalau	
195	195	Sajar	22	Jalau	
196	196	Palash	24	Jalau	
197	197	Sajar	20	Jalau	
198	198	Sajar	23	Jalau	
199	199	Sajar	20	Jalau	
200	200	Palash	23	Jalau	
201	201	Sajar	24	Jalau	
202	202	Sajar	20	Jalau	
203	203	Sajar	20	Jalau	
204	204	Sajar	21	Jalau	
205	205	Sajar	20	Jalau	
206	206	Sajar	21	Jalau	
207	207	Palash	36	Jalau	
208	208	Sajar	22	Jalau	
209	209	Palash	32	Jalau	
210	210	Rinjra	30	Jalau	

Description of Forest Trees falling within the stretch Land from Km 114+000 to 177+800 (Ashapur-Rudhi-Deshgaon, Package-4&5) of NH-347B in District Khandwa in the State of Madhya Pradesh

Tehsil :- Khandwa		Village Name :- Surgaon Nipani			
S.No	Tree Number Marked on field	Species	Girth (cm) Height (in 1.35 Meter)	Kami / Jalau	Remarks
211	211	Palash	20	Jalau	
212	212	Neem	31	Jalau	
213	213	Palash	24	Jalau	
214	214	Rinjra	22	Jalau	
215	215	Neem	43	Jalau	
216	216	Neem	20	Jalau	
217	217	Neem	26	Jalau	
218	218	Neem	20	Jalau	
219	219	Palash	21	Jalau	
220	220	Neem	33	Jalau	
221	221	Neem	22	Jalau	
222	222	Rinjra	22	Jalau	
223	223	Palash	22	Jalau	
224	224	Neem	20	Jalau	
225	225	Palash	20	Jalau	
226	226	Palash	32	Jalau	
227	227	Rinjra	29	Jalau	
228	228	Neem	21	Jalau	
229	229	Neem	21	Jalau	
230	230	Palash	26	Jalau	
231	231	Neem	25	Jalau	
232	232	Neem	24	Jalau	
233	233	Neem	27	Jalau	
234	234	Rinjra	33	Jalau	
235	235	Palash	41	Jalau	
236	236	Rinjra	32	Jalau	
237	237	Neem	30	Jalau	
238	238	Rinjra	28	Jalau	
239	239	Palash	46	Jalau	
240	240	Koriya	25	Jalau	
241	241	Neem	26	Jalau	
242	242	Neem	67	Jalau	
243	243	Rinjra	29	Jalau	
244	244	Rinjra	32	Jalau	
245	245	Neem	28	Jalau	
246	246	Neem	24	Jalau	
247	247	Neem	20	Jalau	
248	248	Neem	24	Jalau	

Description of Forest Trees falling within the stretch Land from Km 114+000 to 177+800 (Ashapur-Rudhi-Deshgaon, Package-4&5) of NH-347B in District Khandwa in the State of Madhya Pradesh

Tehsil :- Khandwa		Village Name :- Sargaon Nipani			
S.No	Tree Number Marked on field	Species	Girth (cm) Height (in 1.35 Meter)	Kami / Jalau	Remarks
Chote Jhar in Numbers (Girth Bellow 20 Cm)					
1		Ghatbor	111		
2		Sajar	3371		
3		Moin	50		
4		Anjan	122		
5		Rekel	587		
6		Palash	216		
7		Rinjra	618		
8		Babul	51		
9		Auli	89		
10		Char	29		
11		Temru	97		
12		Bera	24		
13		Ber	34		
14		Dhaman	10		
15		Semal	4		
16		Singla	14		
17		Segaun	2		
18		Jangli segaun	2		
19		Neem	68		
20		Dhaora	8		
21		Agar	6		
22		Mursind	10		
23		Kuria	9		
24		Beeja	17		
25		Casia Sama	38		
26		Hingrud	34		
		Total :-	5627	Nos	

:: कार्यालय कलेक्टर जिला-खण्डवा ::

कमांक/5791 /वाचक कले0/2023

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,
खण्डवा

विषय:-

ग्राम देशगांव तहसील खण्डवा स्थित राजस्व भूमि खसरा नं. 1080 रकबा 0.37 हेक्टेयर में से 0.05 हेक्टेयर, खसरा नं. 1113 रकबा 0.16 हेक्टेयर में से 0.06 हेक्टेयर, खसरा नं. 1114 रकबा 2.23 हेक्टेयर में से 0.26 हेक्टेयर, खसरा नं. 1121 रकबा 0.18 हेक्टेयर खसरा नं. 1122 रकबा 0.05 हेक्टेयर में से 0.02 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 1123 रकबा 0.57 हेक्टेयर में से 0.03 हेक्टेयर कुल रकबा 0.6 हेक्टेयर भूमि मद छोटे झाड़ का जंगल राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा ने पत्र कमांक 1478 दिनांक 11.04.2023 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु तहसील खण्डवा के ग्राम देशगांव स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1080 रकबा 0.37 हेक्टेयर में से 0.05 हेक्टेयर, खसरा नं. 1113 रकबा 0.16 हेक्टेयर में से 0.06 हेक्टेयर, खसरा नं. 1114 रकबा 2.23 हेक्टेयर में से 0.26 हेक्टेयर, खसरा नं. 1121 रकबा 0.18 हेक्टेयर खसरा नं. 1122 रकबा 0.05 हेक्टेयर में से 0.02 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 1123 रकबा 0.57 हेक्टेयर में से 0.03 हेक्टेयर कुल रकबा 0.6 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है। अतः आवेदक/विभाग को ग्राम देशगांव तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1080 रकबा 0.37 हेक्टेयर में से 0.05 हेक्टेयर, खसरा नं. 1113 रकबा 0.16 हेक्टेयर में से 0.06 हेक्टेयर, खसरा नं. 1114 रकबा 2.23 हेक्टेयर में से 0.26 हेक्टेयर, खसरा नं. 1121 रकबा 0.18 हेक्टेयर खसरा नं. 1122 रकबा 0.05 हेक्टेयर में से 0.02 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 1123 रकबा 0.57 हेक्टेयर में से 0.03 हेक्टेयर कुल रकबा 0.6 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु आवंटित की जाए।

2- अतएव ग्राम देशगांव तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1080 रकबा 0.37 हेक्टेयर में से 0.05 हेक्टेयर, खसरा नं. 1113 रकबा 0.16 हेक्टेयर में से 0.06 हेक्टेयर, खसरा नं. 1114 रकबा 2.23 हेक्टेयर में से 0.26 हेक्टेयर, खसरा नं. 1121 रकबा 0.18 हेक्टेयर खसरा नं. 1122 रकबा 0.05 हेक्टेयर में से 0.02 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 1123 रकबा 0.57 हेक्टेयर में से 0.03 हेक्टेयर कुल रकबा 0.6 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु विभाग को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार कृपया ग्राम देशगांव तहसील खण्डवा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 1080 रकबा 0.37 हेक्टेयर में से 0.05 हेक्टेयर, खसरा नं. 1113 रकबा 0.16 हेक्टेयर में से 0.06 हेक्टेयर, खसरा नं. 1114 रकबा 2.23 हेक्टेयर में से 0.26 हेक्टेयर, खसरा नं. 1121 रकबा 0.18 हेक्टेयर खसरा नं. 1122 रकबा 0.05 हेक्टेयर में से 0.02 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 1123 रकबा 0.57 हेक्टेयर में से 0.03 हेक्टेयर कुल रकबा 0.6 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत "छोटे झाड़ का जंगल" के मद से छूट प्रदान करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण. (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।



(अनूप कुमार सिंह)

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा.

पृ० कमांक / 5792 / वाचक कले० / 2023
प्रतिलिपि:-

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

1/
2/
3/

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा

तहसीलदार, खण्डवा

सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग, खण्डवा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आवेदक/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा की ओर उनके पत्र कमांक 1478 दिनांक 11.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया प्रश्नाधीन आवेदित भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही हेतु विधिवत् आगामी कार्यवाही पूर्ण करावें।

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा



:: कार्यालय कलेक्टर जिला-खण्डवा ::

क्रमांक / 5775 / वाचक कले0 / 2023
प्रति,

खण्डवा, दिनांक 20 / 04 / 2023.

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,
खण्डवा.

विषय:-

ग्राम बडगांव माली तहसील खण्डवा स्थित राजस्व भूमि खसरा नं. 361 रकबा 0.40 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल में से 0.10 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा ने पत्र क्रमांक 1473 दिनांक 11.04.2023 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु तहसील खण्डवा के ग्राम बडगांव माली स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नं. 361 रकबा 0.40 हेक्टेयर में से 0.10 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है। अतः आवेदक/विभाग को ग्राम बडगांव माली तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 361 रकबा 0.40 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल में से 0.10 हेक्टेयर भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु आवंटित की जाए।

2- अतएव ग्राम बडगांव माली तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 361 रकबा 0.40 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल में से 0.10 हेक्टेयर भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु विभाग को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार कृपया ग्राम बडगांव माली तहसील खण्डवा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 361 रकबा 0.40 हेक्टेयर में से रकबा 0.10 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत "छोटे झाड़ का जंगल" के मद से छूट प्रदान करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज. प्रा. (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(अनूप कुमार सिंह)

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा.

खण्डवा, दिनांक 20 / 04 / 2023.

पृ0 क्रमांक / 5776 / वाचक कले0 / 2023

प्रतिलिपि:-

1/

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा

2/

तहसीलदार, खण्डवा

3/

सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग, खण्डवा

4/

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आवेदक/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा की ओर उनके पत्र क्रमांक 1473 दिनांक 11.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया प्रश्नाधीन आवेदित भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही हेतु विधिवत् आगामी कार्यवाही पूर्ण करावें।



कलेक्टर,

जिला-खण्डवा

:: कार्यालय कलेक्टर जिला-खण्डवा ::

कमांक / 5777 / वाचक कले0 / 2023
प्रति,

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,
खण्डवा.

विषय:-

ग्राम सिहाडा तहसील खण्डवा स्थित राजस्व भूमि खसरा नं. 999 रकबा 0.54 हेक्टेयर मद छोटे झाड का जंगल में से 0.05 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सडक निर्माण हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा ने पत्र कमांक 1475 दिनांक 11.04.2023 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सडक निर्माण हेतु तहसील खण्डवा के ग्राम सिहाडा स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नं. 999 रकबा 0.54 हेक्टेयर में से 0.05 हेक्टेयर मद छोटे झाड का जंगल भूमि सडक निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है। अतः आवेदक/विभाग को ग्राम सिहाडा तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 999 रकबा 0.54 हेक्टेयर मद छोटे झाड का जंगल में से 0.05 हेक्टेयर भूमि सडक निर्माण कार्य हेतु आवंटित की जाए।

2- अतएव ग्राम सिहाडा तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 999 रकबा 0.54 हेक्टेयर मद छोटे झाड का जंगल में से 0.05 हेक्टेयर भूमि सडक निर्माण कार्य हेतु विभाग को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार कृपया ग्राम सिहाडा तहसील खण्डवा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 999 रकबा 0.54 हेक्टेयर में से रकबा 0.05 हेक्टेयर मद छोटे झाड का जंगल भूमि सडक निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत "छोटे झाड का जंगल" के मद से छूट प्रदान करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सडक निर्माण हेतु परियोजना निदेशक, भा. रा. राज. प्रा. (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(अनूप कुमार सिंह)

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा.

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

पृ0 कमांक / 5778 / वाचक कले0 / 2023
प्रतिलिपि:-

1/

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा

2/

तहसीलदार, खण्डवा

3/

सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग, खण्डवा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आवेदक/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा की ओर उनके पत्र कमांक 1475 दिनांक 11.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया प्रश्नाधीन आवेदित भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही हेतु विधिवत् आगामी कार्यवाही पूर्ण करावें।

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा



:: कार्यालय कलेक्टर जिला-खण्डवा ::

कमांक/5779 /वाचक कले0/2023
प्रति,

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,
खण्डवा.

विषय:-

ग्राम मथेला तहसील खण्डवा स्थित राजस्व भूमि खसरा नं. 396 रकबा 0.12 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल में से 0.03 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सडक निर्माण हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा ने पत्र कमांक 1476 दिनांक 11.04.2023 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सडक निर्माण हेतु तहसील खण्डवा के ग्राम मथेला स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नं. 396 रकबा 0.12 हेक्टेयर में से 0.03 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सडक निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है। अतः आवेदक/विभाग को ग्राम मथेला तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 396 रकबा 0.12 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल में से 0.03 हेक्टेयर भूमि सडक निर्माण कार्य हेतु आवंटित की जाए।

2- अतएव ग्राम मथेला तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 396 रकबा 0.12 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल में से 0.03 हेक्टेयर भूमि सडक निर्माण कार्य हेतु विभाग को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार कृपया ग्राम मथेला तहसील खण्डवा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 396 रकबा 0.12 हेक्टेयर में से रकबा 0.03 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सडक निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत "छोटे झाड़ का जंगल" के मद से छूट प्रदान करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सडक निर्माण हेतु परियोजना निदेशक, भा. रा. राज. प्रा. (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(अनूप कुमार सिंह)

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा.

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

पृ0 कमांक/ 5780 /वाचक कले0/2023

प्रतिलिपि:-

1/

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा

2/

तहसीलदार, खण्डवा

3/

सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग, खण्डवा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4/

आवेदक/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा की ओर उनके पत्र कमांक 1476 दिनांक 11.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया प्रश्नाधीन आवेदित भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही हेतु विधिवत् आगामी कार्यवाही पूर्ण करावें।

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा



:: कार्यालय कलेक्टर जिला-खण्डवा ::

कमांक/ 5783 / वाचक कले0/2023
प्रति,

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,
खण्डवा.

विषय:-

ग्राम खेडी तहसील खालवा स्थित राजस्व भूमि खसरा नं. 103 रकबा 0.33 हेक्टेयर में से 0.03 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 452 रकबा 4.24 हेक्टेयर में से 0.24 हे0कुल रकबा 0.27 हेक्टेयर भूमि मद छोटे झाड़ का जंगल राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सडक निर्माण हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा ने पत्र कमांक 1470 दिनांक 11.04.2023 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सडक निर्माण हेतु तहसील खालवा के ग्राम खेडी स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नं. 103 रकबा 0.33 हेक्टेयर में से 0.03 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 452 रकबा 4.24 हेक्टेयर में से 0.24 हे0 कुल रकबा 0.27 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सडक निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है। अतः आवेदक/विभाग को ग्राम खेडी तहसील खालवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 103 रकबा 0.33 हेक्टेयर में से 0.03 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 452 रकबा 4.24 हेक्टेयर में से 0.24 हे0 कुल रकबा 0.27 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सडक निर्माण कार्य हेतु आवंटित की जाए।

2- अतएव ग्राम खेडी तहसील खालवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 103 रकबा 0.33 हेक्टेयर में से 0.03 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 452 रकबा 4.24 हेक्टेयर में से 0.24 हे0 कुल रकबा 0.27 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सडक निर्माण कार्य हेतु विभाग को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार कृपया ग्राम खेडी तहसील खालवा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 103 रकबा 0.33 हेक्टेयर में से 0.03 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 452 रकबा 4.24 हेक्टेयर में से 0.24 हे0 कुल रकबा 0.27 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सडक निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत "छोटे झाड़ का जंगल" के मद से छूट प्रदान करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सडक निर्माण हेतु परियोजना निदेशक, भा. रा. राज. प्रा. (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(अनूप कुमार सिंह)
कलेक्टर,

जिला-खण्डवा.
खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

पृ0 कमांक/ 5784 / वाचक कले0/2023
प्रतिलिपि:-

1/
2/
3/

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरसूद
तहसीलदार, खालवा

सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग, खण्डवा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आवेदक/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा की ओर उनके पत्र कमांक 1470 दिनांक 11.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया प्रश्नाधीन आवेदित भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही हेतु विधिवत् आगामी कार्यवाही पूर्ण करावें।



कलेक्टर,

जिला-खण्डवा

:: कार्यालय कलेक्टर जिला-खण्डवा ::

कमांक/5769 /वाचक कले0/2023
प्रति,

खण्डवा, दिनांक 29/04/2023.

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,
खण्डवा.

विषय:-

ग्राम जोगीबेडा तहसील खालवा स्थित राजस्व भूमि खसरा नं. 215/1 रकबा 11.77 हेक्टेयर में से 0.19 हेक्टेयर भूमि मद छोटे झाड़ का जंगल राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा ने पत्र कमांक 1469 दिनांक 11.04.2023 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु तहसील खालवा के ग्राम जोगीबेडा स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नं. 215/1 रकबा 11.77 हेक्टेयर, में से 0.19 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है। अतः आवेदक/विभाग को ग्राम जोगीबेडा तहसील खालवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 215/1 रकबा 11.77 हेक्टेयर, में से 0.19 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु आवंटित की जाए।

2- अतएव ग्राम जोगीबेडा तहसील खालवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 215/1 रकबा 11.77 हेक्टेयर, में से 0.19 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु विभाग को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार कृपया ग्राम जोगीबेडा तहसील खालवा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं.215/1 रकबा 11.77 हेक्टेयर, में से 0.19 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत "छोटे झाड़ का जंगल" के मद से छूट प्रदान करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु परियोजना निदेशक, भा. रा. राज. प्रा. (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(अनूप कुमार सिंह)

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा.

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

पृ0 कमांक/5790 /वाचक कले0/2023
प्रतिलिपि:-

1/

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरसूद

2/

तहसीलदार, खालवा

3/

सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग, खण्डवा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4/

आवेदक/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा की ओर उनके पत्र कमांक 1469 दिनांक 11.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया प्रश्नाधीन आवेदित भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही हेतु विधिवत् आगामी कार्यवाही पूर्ण करावें।

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा



:: कार्यालय कलेक्टर जिला-खण्डवा ::

कमांक/5781
प्रति,

/वाचक कले0/2023

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,
खण्डवा.

विषय:-

ग्राम रुधी तहसील खण्डवा स्थित राजस्व भूमि खसरा नं. 145 रकबा 0.05 हेक्टेयर खसरा नं. 146 रकबा 0.04 कुल रकबा 0.09 हेक्टेयर भूमि मद छोटे झाड़ का जंगल राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा ने पत्र कमांक 1472 दिनांक 11.04.2023 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु तहसील खण्डवा के ग्राम रुधी स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नं.145 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नं. 146 रकबा 0.04 हेक्टेयर कुल रकबा 0.09 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है। अतः आवेदक/विभाग को ग्राम रुधी तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं.145 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नं. 146 रकबा 0.04 हेक्टेयर कुल रकबा 0.09 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु आवंटित की जाए।

2- अतएव ग्राम रुधी तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं.145 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नं. 146 रकबा 0.04 हेक्टेयर कुल रकबा 0.09 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु विभाग को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार कृपया ग्राम रुधी तहसील खण्डवा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं.145 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नं. 146 रकबा 0.04 हेक्टेयर कुल रकबा 0.09 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत "छोटे झाड़ का जंगल" के मद से छूट प्रदान करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु परियोजना निदेशक, भा. रा. राज. प्रा. (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(अनूप कुमार सिंह)

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा.

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

पृ0 कमांक/ 5782 /वाचक कले0/2023
प्रतिलिपि:-

1/

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा

2/

तहसीलदार, खण्डवा

3/

सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग, खण्डवा

4/

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आवेदक/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा की ओर उनके पत्र कमांक 1472 दिनांक 11.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया प्रश्नाधीन आवेदित भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही हेतु विधिवत् आगामी कार्यवाही पूर्ण करावें।

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा



:: कार्यालय कलेक्टर जिला-खण्डवा ::

क्रमांक / 5785 / वाचक कले0 / 2023
प्रति,

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,
खण्डवा.

विषय:-

ग्राम भावसिंगपुरा तहसील खण्डवा स्थित राजस्व भूमि खसरा नं. 271 रकबा 32.87 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल में से 0.02 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा ने पत्र क्रमांक 1471 दिनांक 11.04.2023 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु तहसील खण्डवा के ग्राम भावसिंगपुरा स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नं. 271 रकबा 32.87 हेक्टेयर में से 0.02 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है। अतः आवेदक/विभाग को ग्राम भावसिंगपुरा तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 271 रकबा 32.87 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल में से 0.02 हेक्टेयर भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु आवंटित की जाए।

2-

अतएव ग्राम भावसिंगपुरा तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 271 रकबा 32.87 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल में से 0.02 हेक्टेयर भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु विभाग को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार कृपया ग्राम भावसिंगपुरा तहसील खण्डवा स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 271 रकबा 32.87 हेक्टेयर में से रकबा 0.02 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत "छोटे झाड़ का जंगल" के मद से छूट प्रदान करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु परियोजना निदेशक, भा. रा. राज. प्रा. (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(अनूप कुमार सिंह)
कलेक्टर,

जिला-खण्डवा.

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

पृ0 क्रमांक / 5786 / वाचक कले0 / 2023

प्रतिलिपि:-

1/

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा

2/

तहसीलदार, खण्डवा

3/

सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग, खण्डवा

4/

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आवेदक/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा की ओर उनके पत्र क्रमांक 1471 दिनांक 11.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया प्रश्नाधीन आवेदित भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही हेतु विधिवत् आगामी कार्यवाही पूर्ण करावें।

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा



:: कार्यालय कलेक्टर जिला-खण्डवा ::

कमांक / 5787 / वाचक कले0 / 2023
प्रति,

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,
खण्डवा.

विषय:-

ग्राम अमलपुरा तहसील खण्डवा स्थित राजस्व भूमि खसरा नं. 304 रकबा 1.27 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल में से 0.02 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा ने पत्र कमांक 1474 दिनांक 11.04.2023 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु तहसील खण्डवा के ग्राम अमलपुरा स्थित राजस्व वन भूमि खसरा नं. 304 रकबा 1.27 हेक्टेयर में से 0.02 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है। अतः आवेदक/विभाग को ग्राम अमलपुरा तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 304 रकबा 1.27 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल में से 0.02 हेक्टेयर भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु आवंटित की जाए।

2- अतएव ग्राम अमलपुरा तहसील खण्डवा राजस्व वन भूमि खसरा नं. 304 रकबा 1.27 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल में से 0.02 हेक्टेयर भूमि सड़क निर्माण कार्य हेतु विभाग को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार कृपया ग्राम अमलपुरा तहसील खण्डवा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 307 रकबा 1.27 हेक्टेयर में से रकबा 0.02 हेक्टेयर मद छोटे झाड़ का जंगल भूमि सड़क निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत "छोटे झाड़ का जंगल" के मद से छूट प्रदान करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 बी के आशापुर-खण्डवा-देशगांव (बैतुल खण्डवा पैकेज 4 एवं 5) के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित वनभूमि पर सड़क निर्माण हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज प्रा. (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(अनूप कुमार सिंह)

कलेक्टर,

जिला-खण्डवा.

खण्डवा, दिनांक 20/04/2023.

पृ0 कमांक / 5788 / वाचक कले0 / 2023

प्रतिलिपि:-

1/

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा

2/

तहसीलदार, खण्डवा

3/

सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग, खण्डवा

4/

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आवेदक/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा की ओर उनके पत्र कमांक 1474 दिनांक 11.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया प्रश्नाधीन आवेदित भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही हेतु विधिवत् आगामी कार्यवाही पूर्ण करावें।



कलेक्टर,

जिला-खण्डवा



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport & Highways)

पता - प्लॉट नं. 66-67, सिद्धि विनायक कॉलोनी, दादाजी कॉलेज के पास, इन्दौर रोड,
खण्डवा (म.प्र.) 450001

Add. - Plot No. 66-67, Siddhi Vinayak Colony, Near Dadaji College, Indore Road,
Khandwa (M.P.) 450001

e-mail : piukhandwa@nhai.org, nhaikhandwa@gmail.com



NHAI/PIU-KNW/Forest KNW-Betul/NH-347B/1483

Date: 13.04.2023

To,

The Chief Conservator of Forest
Khandwa, (M.P.)

Sub: 4 laning of Ashapur-Khandwa-Deshgaon Section of NH-347B from Ashapur Design Ch 114+000 to Deshgaon (Khandwa) Design Ch 177+680 (length-63.680 km) on Betul- Khandwa Corridor under BHARATMALA Pariyojana in the State of Madhya Pradesh. **Forest Diversion Proposal No:- (FP/MP/ROAD/146981/2021)-reg.**

Ref.: (i) Forest Proposal No.: FP/MP/ROAD/146891/2021
(ii) DFO, Khandwa letter no.621 dated 16.02.2023

The Proposed project "4 laning of Ashapur-Khandwa-Deshgaon Section of NH- 3478 from Ashapur Design Ch 114+000 to Deshgaon (Khandwa) Design Ch 177+680 (length-63.680 km) on Betul Khandwa Corridor under BHARATMALA Pariyojana in the State of Madhya Pradesh" is passing through Khandwa division for which hard copy was submitted to DFO (T) Khandwa on 15th February 2023.

2. DFO, Khandwa, vide EDS/observation letter under ref. (ii) requested this office to submit the Compensatory Afforestation Scheme (CA Scheme). For 32.306 Ha.

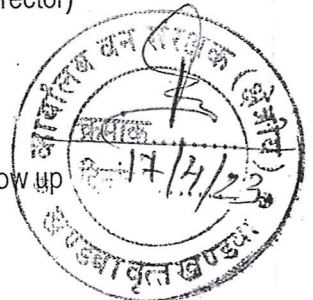
3. It is to apprise that the above project is prestigious project of Govt. of India for which the road construction agency is already appointed and the construction work is to be started at the earliest.

4. In view of above, it is requested to issue directions/instructions to concerning forest department officials to give the information about CA land and also to make the Compensatory Afforestation Scheme (CA Scheme) for 32.306 Ha. so that the compliance report of EDS/Observation sought by DFO, Khandwa can be submitted for further necessary action regarding subject proposal.

Ashutosh Soni
(Project Director)

Copy to:

1. The Regional Officer, RO Bhopal, for kind information please.
2. DFO, Khandwa for kind information please.
3. The Team Leader, LEA Associates South Asia Private Limited, Site Office, Khandwa MP for follow up with concerning dept. and necessary action for obtaining the clearance



कायालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./NHAI/2023/ 1383
प्रति,

खंडवा, दिनांक 17-4-23

मुख्य वनसंरक्षक,
खण्डवा वृत्त खण्डवा

विषय:- 4 laning of Ashapur-Khandwa-Deshgaon Section of NH-347B from Ashapur
Proposal No. (FP/MP/ROAD/146981/2021)

संदर्भ:- कार्यालयीन पृ० क्रमांक 622 दिनांक 16.02.2023

---000---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि 4 laning of Ashapur-Khandwa-Deshgaon Section of NH-347B from Ashapur के संबंध में प्रकरण वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज होकर सीमांकन एवं वृक्षों की गणना की कार्यवाही प्रचलित है। प्रभावित वनभूमि 16.153 हेक्टेयर के बदले में दुगुना बिगडा वनक्षेत्र 32.306 हेक्टेयर वनभूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध ना होने से अन्य वनमण्डल में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 32.306 हेक्टेयर वनभूमि हेतु प्रस्तावित करने का कष्ट करें।

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./NHAI/2023/ 1384
प्रतिलिपि :-

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खंडवा
खंडवा, दिनांक 17-4-23

1- Project Director, PIU-Khandwa Plot no. 66-67 Siddhi Vinayak colony Near dadaji college indore road khandwa की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 621 दिनांक 16.02.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खंडवा